

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	678.68	159.00	837.68	3032.60	65.00	3097.60	2543.93	65.00	2608.93	3179.49	3.75	3183.24
<i>वसूलियां</i>	-34.99	...	-34.99
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	643.69	159.00	802.69	3032.60	65.00	3097.60	2543.93	65.00	2608.93	3179.49	3.75	3183.24
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	25.02	...	25.02	31.00	4.00	35.00	31.00	4.00	35.00	33.62	2.00	35.62
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	61.56	...	61.56	97.00	...	97.00	86.69	...	86.69	95.25	1.75	97.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	86.58	...	86.58	128.00	4.00	132.00	117.69	4.00	121.69	128.87	3.75	132.62
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. कौमी बक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी बक्फ संपत्ति विकास योजना	5.12	...	5.12	17.00	...	17.00	8.00	...	8.00	16.00	...	16.00
4. <i>शिक्षा सशक्तिकरण</i>												
4.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	43.95	...	43.95	433.00	...	433.00	400.00	...	400.00	326.16	...	326.16
4.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	29.00	...	29.00	1065.00	...	1065.00	1000.00	...	1000.00	1145.38	...	1145.38
4.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट)	34.89	...	34.89	44.00	...	44.00	25.00	...	25.00	33.80	...	33.80
4.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप	98.85	...	98.85	96.00	...	96.00	54.00	...	54.00	45.08	...	45.08
4.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	14.00	...	14.00	10.00	...	10.00
4.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	24.00	...	24.00	21.00	...	21.00	7.00	...	7.00	15.30	...	15.30
4.07 यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	1.66	...	1.66
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	257.35	...	257.35	1689.00	...	1689.00	1500.00	...	1500.00	1575.72	...	1575.72

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. कौशल विकास और आजीविका												
5.01 कौशल विकास पहल	65.28	...	65.28	0.10	...	0.10
5.02 नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और आजीविका पहल	7.62	...	7.62	0.10	...	0.10
5.03 विकास के लिए पारंपरिक कला / शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (यूएसटीटीएडी)	10.61	...	10.61	0.10	...	0.10
5.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना	0.62	...	0.62	0.10	...	0.10
5.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
5.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान	...	159.00	159.00	...	61.00	61.00	...	61.00	61.00
जोड़- कौशल विकास और आजीविका	86.13	159.00	245.13	3.40	61.00	64.40	3.00	61.00	64.00	3.00	...	3.00
6. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
6.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	4.83	...	4.83	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
6.02 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर	0.10	...	0.10
6.03 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	2.70	...	2.70	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	7.53	...	7.53	26.10	...	26.10	18.00	...	18.00	26.00	...	26.00
7. पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)												
7.01 पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं	540.00	...	540.00	325.86	...	325.86	500.00	...	500.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	356.13	159.00	515.13	2275.50	61.00	2336.50	1854.86	61.00	1915.86	2120.72	...	2120.72
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	11.24	...	11.24	15.00	...	15.00	13.50	...	13.50	14.00	...	14.00
9. भाषाविज्ञान अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.98	...	1.98	4.00	...	4.00	2.88	...	2.88	3.00	...	3.00
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	13.22	...	13.22	19.00	...	19.00	16.38	...	16.38	17.00	...	17.00
स्वायत्त निकाय												
10. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)	0.10	...	0.10
अन्य												
11. वास्तविक वसूलियां	-34.99	...	-34.99
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-21.77	...	-21.77	19.10	...	19.10	16.38	...	16.38	17.00	...	17.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम												
12. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	222.67	...	222.67	600.00	...	600.00	550.00	...	550.00	910.90	...	910.90
13. मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.08	...	0.08	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00
जोड़-अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम	222.75	...	222.75	610.00	...	610.00	555.00	...	555.00	912.90	...	912.90
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	222.75	...	222.75	610.00	...	610.00	555.00	...	555.00	912.90	...	912.90
कुल जोड़	643.69	159.00	802.69	3032.60	65.00	3097.60	2543.93	65.00	2608.93	3179.49	3.75	3183.24
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	341.24	...	341.24	1797.98	...	1797.98	1599.72	...	1599.72	1667.44	...	1667.44
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	174.17	...	174.17	646.38	...	646.38	414.06	...	414.06	602.55	...	602.55
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	25.02	...	25.02	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	33.62	...	33.62
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	159.00	159.00	...	61.00	61.00	...	61.00	61.00
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	3.75	3.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	540.43	159.00	699.43	2475.36	65.00	2540.36	2044.78	65.00	2109.78	2303.61	3.75	2307.36
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	309.70	...	309.70	261.44	...	261.44	318.70	...	318.70
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	103.26	...	103.26	247.21	...	247.21	237.54	...	237.54	527.12	...	527.12
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.33	...	0.33	0.17	...	0.17	30.06	...	30.06
जोड़-अन्य	103.26	...	103.26	557.24	...	557.24	499.15	...	499.15	875.88	...	875.88
कुल जोड़	643.69	159.00	802.69	3032.60	65.00	3097.60	2543.93	65.00	2608.93	3179.49	3.75	3183.24

(₹ करोड़)

	बजट 2024-2025			बजट 2023-2024			बजट 2023-2024			बजट 2024-2025		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इटिकटी अंशदान	159.00	711.79	870.79	61.00	886.00	947.00	61.00	826.00	887.00	...	800.00	800.00

जोड़	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
	159.00	711.79	870.79	61.00	886.00	947.00	61.00	826.00	887.00	...	800.00	800.00

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।

3. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसबीके) रिकॉर्ड्स के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और इसे व्यावसायिक आय को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों में विस्तार किया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फबोर्डों को डब्ल्यूएसएसआई मॉड्यूल में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन हेतु जनशक्ति की तैनाती, एसडब्ल्यूबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने हेतु कानूनी और लेखा अनुभाग को सुदृढ बनाने हेतु क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

एसडब्ल्यूएसबीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

4.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX और X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

4.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा XI व XII स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

4.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

4.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम. फिल. तथा पी. एच. डी. जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल. तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

4.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी/ निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

4.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सव्बिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सव्बिडी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.07. **यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

5.01. **कौशल विकास पहल:** इस योजना का पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के साथ विलय कर दिया गया है।

5.02. **नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और आजीविका पहल:** इस योजना का पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के साथ विलय कर दिया गया है।

5.03. **विकास के लिए पारंपरिक कला / शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (यूसटीटीएडी):** इस योजना का पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के साथ विलय कर दिया गया है।

5.04. **अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना:** इस योजना का पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के साथ विलय कर दिया गया है।

5.05. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

5.06. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

6.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका 15 सूत्री कार्यक्रम और अध्ययन के अन्य क्षेत्रों सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना तथा साथ ही इस मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान चलाना है।

6.02. **अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर:** इस योजना का पीएम-विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के साथ विलय कर दिया गया है।

6.03. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

7. **पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास):** प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक कौशल-वर्धन पहल है जो देश भर के अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल-वर्धन, उद्यमशीलता और नेतृत्व प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर बल देती है। इस योजना को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अभिसरण से तथा स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) के साथ समेकन के माध्यम से लागू करने का इरादा है। इस योजना में 15वें वित्त आयोग चक्र से लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित घटक शामिल हैं

1. कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण घटक :-

क. पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक (पूर्व में उस्ताद और हमारी धरोहर के रूप में ज्ञात)

ख. गैर पारंपरिक कौशल संवर्धन उप-घटक (पूर्व में सीखो और कमाओ के रूप में ज्ञात)

2. नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक (पूर्व में नई रोशनी)

3. शिक्षा घटक (पूर्व में नई मंजिल)।

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

9. **भाषाविज्ञान अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

10. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ):** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित व्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। इस प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।

12. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवाईके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवाईके का उद्देश्य , चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए अर्थात चिन्हित जिलों के मुख्यालयों/ ब्लॉकों / कस्बों / गांवों के समूह जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी अधिक है और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं) में विकास की कमियों को दूर करना है। प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित किया गया है।

13. **मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल की अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।